Social Security - (5).

भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय [Social Security measures in India]

(5) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 →.

यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता है जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हो। इस प्रकार के कारखानों के सभी श्रमिक एवं कर्मचारी इस भविष्य निधि के सदस्य होते है जिनको कुल मिलाकर 6500 रुपये से अधिक पारिश्रमिक नही मिलता है। इस निधि में प्रत्येक श्रमिक कर्मचारी को अपने कुल वेतन का 12 प्रतिशत भाग जमा करना पड़ता है तथा मालिक द्वारा भी उतनी ही रकम जमा करायी जाती है। इस निधि का उद्देश्य अवकाश प्राप्त करने के बाद वृद्धावस्था में श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए धन की व्यवस्था करना है। श्रमिक कर्मचारी की मृत्यु पर इस निधि की ~~राशि~~ राशि उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है।

(6) मृत्यु सहायता कोष, 1971 →.

Scanned by CamScanner

यदि किसी कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 1,000 रु से अधिक नहीं है, की मृत्यु हो जाती है तो इस कोष से उसके उत्तराधिकारी को सहायता दी जाती है। इस सहायता को मृत्यु सहायता कहते हैं। पहले इस सहायता की न्यूनतम राशि 500 रु थी, लेकिन अगस्त 1981 में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया था। इस सहायता के लिए एक कोष मृत्यु सहायता कोष के नाम से जनवरी 1964 में स्थापित किया गया था।

(7) ग्रेच्युटी भुगतान संशोधित अधिनियम, 1972. →

अब 3500 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी व श्रमिक चाहे वे किसी भी बागान, खान, कारखाने, तेल क्षेत्र, व्यावसायिक उपक्रम औद्योगिक इकाईयों, आदि में कार्य करते हों लेकिन वहां 10 या अधिक कर्मचारी या श्रमिक या दोनों समय कार्य करते हो, अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु या पद त्यागने आदि पर ग्रेच्युटी पाने के अधिकारी हैं। जिसकी अधिकतम राशि 3 लाख 50 हजार है। इस समय 34 हजार संस्थानों के 30 लाख से अधिक कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं। (To be continued)

Scanned by CamScanner